[1/3/2021]

प्रश्न सं. [क्र. 1717]

तारां.प्रश्न क्रमांक- 1717

परिशिष्ट

कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा

6वीं मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)

ई–मेल : dme12001@yahoo.com
वेबसाईट : www.medicaleducation.mp.gov.in

दूरभाष क्रमांक : 0755–2551719
फैक्स : 0755–2578844

क्रमांक 341/यो.वि./02/संचिशि/2020 भोपाल,दिनांक 27/10/2020

प्रति,

डॉ. संजय रॉय,
निदेशक (चिकित्सा शिक्षा कक्ष),
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषय :– जिला सिवनी में भारत शासन की योजना **PMSSY-Phase 3** अन्तर्गत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खोलने बावत्।

संदर्भ :– कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 301/यो.वि./2020 दिनांक 17.09.2020

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे। उक्त सदर्भित पत्र में मुल रूप से भारत शासन की योजना **PMSSY-Phase 3** अन्तर्गत आवश्यकतानुसार क्रमशः जिला सिवनी, कटनी एवं मुरैना में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खोलने के संबंध में अनुमोदन प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है। इसी अनुक्रम में ही जिला कलेक्टर, मुरैना, कटनी एवं सिवनी को नवीन मेडिकल कॉलेज के संबंध में जिले में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर निर्धारित मापदण्डानुसार प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त निर्देशो के परिपेक्ष्य में क्रमशः जिला कलेक्टर, सिवनी द्वारा पत्र क्रमांक 5608 दिनांक 23.09.2020, जिला कलेक्टर, मुरैना द्वारा पत्र क्र0 1944 दिनांक एवं जिला कलेक्टर, कटनी द्वारा पत्र क्र0 9535 दिनांक 19.10.2020 के संदर्भ में प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध कराया गया है जो कि मूलतः अनुमोदनार्थ की आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

संलग्न :– सिवनी, मुरैना,कटनी का प्रस्ताव।

आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन